विवरण

झंझारपुर एक्सचेंज से प्रदान किए गए पे-फोन (एसटीडी/आईएसडी पीसीओ) की सूची

क्र०सं०	संकेतक नम्बर	नाम
1.	22202	श्री कृष्ण कुमार टिबरेवाल
2.	22253	श्री दुर्गानन्द झा
3.	22519	श्रीमती रेनू देवी
4.	22540	श्री सुधीर कुमार झा
5.	22541	श्री धीरेन्द्र कुमार झा
6.	22542	श्री मातान्द्र मोहन मिश्रा
7.	22650	श्री भैराब कुमार झा
8.	22651	श्रीमती सुनीता झा
9.	22952	श्री लालन कुमार मिश्रा
10.	22553	श्री सदन चन्द्र
11.	22554	श्री वैधनाथ झा
12.	22555	श्रीमती आशा झा
13.	22556	कुमारी अमृता, मार्फत शंकर प्रसाद टेहरीवाल
14.	22568	श्री महेश कुमार जरीवाल
15.	22668	श्री देव कान्त प्रसाद
16.	22861	श्री शंभुनाथ झा
17.	22662	श्री अंजना कुमार पाण्डेय
18.	22563	श्री प्रकाश चन्द्र झा
19.	22564	श्री अशोक कुमार झा

झंझापुर एक्सचेंज द्वारा प्रदान किए गए ग्राम सार्वजनिक टेलीफोनों (वी पी ट) की सूची

क्र०सं०	संकेतक संख्या	नाम
1.	22210	श्री अनिरूद्ध चौधरी
2.	22362	श्रीमती लक्ष्मी देवी
3.	22363	श्री मोती लाल पासवान
4.	22364	श्री राजेश्वर मिश्र
5.	22365	श्रीमती राजू चौधरी
6.	22366	श्री शाबनो भूषण सिंह
7.	22367	श्री अशोक कुमार सिंह
8.	22368	श्री अरबिन्द कुमार दास
9.	22369	श्री परमानन्द झा
10.	22370	श्री दुर्गानन्द झा
11.	22371	श्री गुनानन्द मिश्र
12.	22372	श्री हारा राम कुमार
13.	22373	श्री राजेन्द्र कुमार झा
14.	22374	श्री गणेश प्रसाद
15.	22375	श्री दिनेश्वर सिंह
16.	22376	श्री रामखेलावन महतो
17.	22410	श्री देव कान्त झा
18.	22511	श्री राजेन्द्र मिश्रा
19.	22512	श्री बचन सिंह
20.	22370	श्रीमती सीता पांजियार
21.	22330	श्री रामेश्वर झा
22.	22514	श्री विजय कुमार झा
23.	22513	डाकघर
24.	22516	श्री दिगविजय दिवाकर
25.	22385	डाकघर
26.	22228	डाकघर
27.	22222	डाकघर

सट्टे के कारोबार को रोकने हेतु कदम उठाया जाना

1727. **प्रो० विजय कुमार मल्होत्रा:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली सट्टेबाजों का प्रमुख अड्डा बन गया है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सट्टा किस तरह खेला जाता है; और

(ग) सरकार सट्टे के कारोबार को रोकने हेतु क्या कदम उठा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (प्रो० एम० कामसन): (क) और (ख) सरकार को सट्टा खेलने की कुप्रथा और सट्टों के विभिन्न प्रकारों एवं उनकी कार्य प्रणाली के बारे में जानकारी है।

(ग) सरकार द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:—

(I) सट्टे का पता लगाने के लिए उपयोगी आसूचना संग्रहण हेतु, दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के सामाजिक रक्षा विंग को कहा गया है।

(II) दिल्ली पुलिस से यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि आदतन सट्टा चलाने वालों पर कड़ी नजर रखें।

(III) मामलों की जांच और मुकदमा चलाने का काम तेजी से किया जाता है। परिणामतः, 150 अभियुक्तों में से 57 व्यक्तियों को दोष सिद्ध ठहराया जा सका है और 7,55,422/- रु० बरामद किए गए हैं।

Cold Chain Scheme for construction of cold storages

1728. SHRI JAGIR SINGH DARD:
DR. SHRIKANT RAMCHANDRA JICHKAR:

Will the Minister of FOOD PROCESSING INDUSTRIES be pleased to state:

(a) whether subsidy is being given under the Cold Chain Scheme for construction of cold storage;

(b) if so, what are the details of the scheme;

(c) what is the maximum subsidy which is given to any individual case; and

(d) what is the manner in which the entrepreneurs can proceed?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF FOOD PROCESSING INDUSTRIES (SHRI K. P. SINGH DEO): (a) to (d) The information is being collected and will be laid on the Table of the House.

Issuig of Temporary Status Certificate to Casual Labourer

1729. SHRI CHATURANAN MISHRA: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in pursuance of the Supreme Court judgement on 29th November, 1989 a temporary status certificate was to be issued to casual labourers who completed 240 days;

(b) if so, how many casual workers were issued such a certificate during 1989 to 1994 in each Postal Circles and RMS Divisions in Maharashtra;

(c) how many casual labourers in Maharashtra Postal Circle completed 240 days in each year from 1989 to 1994;

(d) whether it is a fact that PMG Pune, SSRM, Bombay Division and RMS Divisions in Bombay did not implement the judgement inspite of letters from the Service Union; and

(e) if so, what action has been taken against Superintendents and PHG who have not implemented the judgement of the Supreme Court?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI SUKH RAM): (a) In accordance to a scheme finalised in consonance with the Supreme Court judgement, temporary status was to be conferred on casual labourers in employment as on 29.11.89 who continued to be currently employeed and who had rendered continuous service of at least one year and during that year, they were engaged for a period of 240 days.

(b) In Maharashtra Postal Circle, there are five Postal Regions. The number of casual labourers conferred with temporary status in these Regions and in the RMS Division is as follows:—